

प्रेषक,

विनय प्रकाश सिंह,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मेरठ।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
मेरठ।

विषय:-1108 / LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad/Dated 20-05-2020 एवं आपके आदेश दिनांकित 21.05.2020 के अनुपालन में आख्या प्रेषित किये जाने के संबंध में

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, के पत्रांक 1108 / LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad/Dated 20-05-2020 एवं आपके आदेश संख्या 113 दिनांकित 21.05.2020 के संबंध में मेरठ न्यायालय परिसर के रैड जोन/कन्टेनमेंट जोन के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ, से आख्या आहूत की गयी है, जो संलग्न कर माननीय महोदय की सेवा में प्रेषित की जा रही है।

आदर सहित।

दिनांक : 30.05.2020

भवदीय

/

(विनय प्रकाश सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मेरठ।

सलग्नक-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-श्रीमान नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर विभाग, जिला न्यायालय, मेरठ, को अनुपालन हेतु सादर प्रेषित।

~~मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट~~,
मेरठ।

प्रेषक,
जिला मजिस्ट्रेट
मेरठ।

प्रेष्य,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मेरठ।

संख्या- ११५८ / एसटी-नगर / कोविड-19,

दिनांक- ३० मई, २०२०

विषय- माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित २०.५.२०२० के अनुपालन में मेरठ न्यायालय के परिसर रेड जोन / कन्टेनमैन्ट जोन के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांकित २२.०५.२०२० का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-४०-३-२०२०-डीएम-१ (ए) दिनांक १७.०५.२०२० के कम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या-९२४/२०२०/सीएक्स-३, दिनांक १८.०५.२०२० द्वारा कोविड-१९ महामारी की रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी लॉकडाउन दिनांक १८.०५.२०२० से दिनांक ३१.०५.२०२० तक प्रभावी रहने हेतु आदेश दिए गए हैं।

ताल्कम में जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ के आदेश संख्या-१४६५/ओ०एस०डी०-कैमा/२०२०, दिनांक २१.०५.२०२० (प्रति संलग्न) के साथ मेरठ जनपद के कन्टेनमैन्ट क्षेत्र की सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत समस्त नगर निगम एवं कैन्टोनमेन्ट बोर्ड (नगर निगम वार्ड संख्या-०६, १०, २८ एवं ३१ को छोड़कर) को कन्टेनमैन्ट क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

कृपया तदनुसार आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजय कुमार तिवारी)
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
मेरठ।

प्रतिलिपि-

जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
मेरठ।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

पृष्ठ: १६८ / ओ०एस०ड००-कैम्प/ २०२०

दिनांक: २१ -०५-२०२०

आदेश

गृह मन्त्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या ४०-३-२०२०-डीएम-१ (ए) दिनांक १७-५-२०२० के कम से गुरुव्य सप्तिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या ९२४/२०२०/सीएक्स-३ दिनांक १८-५-२०२० द्वारा कोविड-१९ महामारी की रोकथाम के सम्बन्ध में देशव्यापी लॉकडाउन दिनांक १८-५-२०२० से दिनांक ३१-५-२०२० तक प्रभावी रहने हेतु आदेश दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रत्तर पर विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिविधियों, व्यापार संघ के पदाधिकारियों आदि से विचार विमर्श कर लिए गए निर्णय के अनुसार, दिनांक ३१-५-२०२० तक निम्नलिखित दिशा निर्देश पारित किए जाते हैं-

- १- जनपद मेरठ के कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर समस्त क्षेत्रों में रेस्टोरेंट/मिटाई की दुकान से होम डिलीवरी अनुमत्य होगी।
- २- सायं ७.०० बजे से सुबह ७.०० बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन (आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर) पूर्णतः निषिद्ध होगा।
- ३- ६५ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति/एक से अधिक अन्य वीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिला और १० वर्ष की आयु से नीचे बच्चों का (स्वास्थ सम्बन्धी आवश्यकताओं को छोड़कर) बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
- ४- नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों सहित ग्रामीण क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन से बाहर औद्योगिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति Incident Commander द्वारा नियमानुसार शर्तों के अधीन निर्माता की जायेगी, जिसमें श्रमिकों को नान-कन्टेनमेंट क्षेत्र से ही फैक्ट्री के अन्दर कार्य करने की अनुमति होगी। सोशल डिस्टेन्स सम्बन्धी एस०ओ०पी० के समस्त नियमों का पालन किया जायेगा, जिसका समय-समय पर निरीक्षण किया जायेगा। शर्तों का पालन न करने पर वैधानिक एवं सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। फैक्ट्रीयां अपने-अपने क्षेत्रफल के आधार पर ही श्रमिकों को कार्य पर बुलायेंगी।
- ५- नगर निगम, मेरठ के कन्टेनमेंट जोन के बाहर औद्योगिक गतिविधियों (पैकेजिंग निर्माता इकाईयों सहित) मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा नियमानुसार शर्तों के अधीन चरणबद्ध तरीके से निर्माता की जायेगी, जिसमें श्रमिकों को नान-कन्टेनमेंट क्षेत्र से ही फैक्ट्री के अन्दर कार्य करने की अनुमति होगी। सोशल डिस्टेन्स सम्बन्धी एस०ओ०पी० के समस्त नियमों का पालन किया जायेगा, जिसका समय-समय पर निरीक्षण किया जायेगा। शर्तों का पालन न करने पर वैधानिक एवं सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। फैक्ट्रीयां अपने-अपने क्षेत्रफल के आधार पर ही श्रमिकों को कार्य पर बुलायेंगी।
- ६- बारातघर खोले जायेंगे, लेकिन शादी से पूर्व सम्बन्धित कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होगी तथा इसमें २० लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी।
- ७- अस्थाई सब्जी मण्डी की व्यवस्था पूर्व की भौति जागृति विहार सैकटर-३ में यथावत रहेगी।
- ८- कन्टेनमेंट जोन के बाहर प्रिंटिंग प्रेस एवं ड्राइकलीनर की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।
- ९- सार्वजनिक रसानां पर कोई भी व्यक्ति बिना फेस मार्क/कवर के बाहर नहीं निकलेंगे।
- १०- समस्त सामाजिक/राजनीतिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/अन्य सामुहिक गतिविधियों पूर्णतः निषिद्ध रहेंगी।

समर्त धार्मिक रथल / पूजा रथल / धार्मिक जुतुस आदि पूर्णतः निषिद्ध रहेंगे।

12- कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर कृषि उपकरण एवं कृषि आवश्यकताओं से सम्बन्धित वस्तुओं के कथ / विक्रय करने की अनुमति होगी एवं अपर मुख्य सचिव, गृह (गोपन) अनुभाग-3 के पत्र संख्या 323 / 2020-सीएक्स-3 दिनांक 28-4-2020 के कम में कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर इंट-भट्टा संचालन में परिवहन / ईट विकी परिवहन की अनुमति दी गयी है। अतः इस कम में इंट भट्टा संचालकों को उनके कार्य-स्थल तक जाने की अनुमति रहेगी।

13- तहसील मुख्यालय स्तर पर, नगर पालिका एवं नगर परायत क्षेत्रों में निर्णय लेने हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारी अधिकृत होगे एवं इन्हे Incident Commander नामित किया जाता है।

14- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या 924 / 2020 / सीएक्स-3 दिनांक 18-5-2020 द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। कन्टेनमेन्ट जोन की सूची सलग्न है।

15- यदि किसी के द्वारा भी लाक डाउन के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का उलंघन किया जाता है तो सम्बन्धित के विरुद्ध उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 एवं आई0पी0सी10 की धारा-188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभासी होगा।

सलग्न-उपरोक्तानुसार।

(अजय साहनी)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।

21/5/2020
(अनिल ढीगरा)

जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-

- 1-- प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ / नोडल अधिकारी, जनपद मेरठ।
- 2-- आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
- 3-- अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ।
- 4-- पुलिस महानिदेशक, मेरठ।
- 5-- मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
- 6-- नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।
- 7-- समर्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, जनपद मेरठ।
- 8-- पुलिस अधीक्षक-नगर / यामीण क्षेत्र, मेरठ।
- 9-- नगर मजिस्ट्रेट / समर्त अपर नगर मजिस्ट्रेट / समर्त उप जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
- 10-- मुख्य विकित्सा अधिकारी, मेरठ।
- 11-- उपायुक्त, उद्योग, मेरठ।
- 12-- उप निदेशक, कृषि / जिला कृषि अधिकारी, मेरठ।
- 13-- समर्त कार्यालयध्यक्ष, जनपद मेरठ को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- 14-- प्रभारी कन्ट्रोल रूम, कलेक्टरेट, एन0आई0सी10, मेरठ।
- 15-- जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।

(अजय साहनी)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।

21/5/2020
(अनिल ढीगरा)

जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

कन्टेनमेन्ट क्षेत्र की सूची (जनपद मेरठ)

क्रमसंख्या	कन्टेनमेन्ट क्षेत्र
1	समस्त नगर निगम एवं कैन्टोमेन्ट बोर्ड (नगर निगम वार्ड संख्या 06,10,28,31 को छोड़कर)
2	कसबा सिवाल खास, तहसील सदर मेरठ(थाना जानी)
3	ग्राम नारंगपुर, ब्लाक रोहटा(थाना रोहटा)
4	ग्राम पूठा, (थाना टी०पी०नगर)
5	ग्राम रोहटा, पुराना डाकखाना बड़ी मस्जिद के पास, बड़ौत रोड मेरठ(थाना रोहटा)
6	मौहल्ला करसावान, सरधना, मेरठ(थाना सरधना)
7	ग्राम जलालपुर, हस्तिनापुर, मेरठ(थाना हस्तिनापुर)
8	नगर पंचायत बहसूमा, जनपद मेरठ (थाना बहसूमा)
9	ग्राम पनवाड़ी, विकास खण्ड दौराला, मेरठ(थाना दौराला)
10	ग्राम अतराडा, खरखौदा(खरखौदा)